राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–52/2023
शिव शंकर प्रसाद बनाम् धनंजय कुमार उर्फ पप्पू यादव।

यह वाद श्री शिव शंकर प्रसाद, पित–श्री केदार प्रसाद सिंह, मुहल्ला–मथुरिया, थाना–लहेरी, बिहारशरीफ, **जिला–नालन्दा**, पिनकोड–803101 द्वारा श्री धनंजय कुमार उर्फ पप्पु यादव, पिता–स्व0 रामदेव प्रसाद, पता–मुहल्लाा–तेरही बारूण, थाना–लहेरी, पोस्ट–जी0पी0ओ0–बिहारशरीफ, **जिला–नालन्दा**, पिनकोड–803101 (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–35, नगर निगम बिहारशरीफ, **जिला–नालन्दा**) के विरुद्व **दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान** होने के दावें के आधार पर बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत निहित अयोग्यता/निरर्हता के आधार पर उन्हें वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–35, नगर निगम बिहारशरीफ, **जिला–नालन्दा** के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री शिव शंकर प्रसाद का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन एवं श्री जयराम शर्मा द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री धनंजय कुमार उर्फ पप्पू यादव की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **नालन्दा** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री अवधेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, **नालन्दा,** श्री दीपक कुमार मिश्रा,(भा0प्र0से0), नगर आयुक्त, नगर निगम **नालन्दा,** श्री रितु राज, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, हिलसा तथा श्री राजीव कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी, **नालन्दा** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल–03 संतान है, जिसमें से अंतिम संतान का जन्म Cut of date दिनांक–04.04.2008 के उपरांत हुआ है, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नैन्सी, धनवंती एवं अनमोल प्रतिवादी के संतानों के नाम है। प्रतिवादी द्वारा वर्ष–2011 में स्वयं SECC के सर्वेक्षण में अपने परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि/जन्म वर्ष सर्वेक्षणकर्त्ताओं को दी गई है, जिसके अनुसार जन्मवर्ष–1973, पत्नी श्रीमती शांति देवी का जन्मवर्ष–1978, पुत्री नैन्सी का जन्मवर्ष–2006, पुत्री धनवंती का जन्मवर्ष–2008 एवं पुत्री अनमोल का जन्मवर्ष–2009 अंकित है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा SECC के Final List के छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Self Admission से बड़ा कोई साक्ष्य नहीं होता। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि सर्वेक्षण में दी गई सूचना या तो प्रतिवादी या उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है। अतः बच्चों के जन्म के संबंध में यह सबसे बड़ा साक्ष्य है।

आगे उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में नैन्सी कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–492020 का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें नैन्सी कुमारी का

जन्मतिथि–03.02.2005 अंकित है। पुनः उनके द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र संख्या –492018 का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें धनवंती कुमारी की जन्मतिथि–17.08.2006 अंकित है। अंत में उनके द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–492019 का अवलोकन कराया गया, जिसमें अनमोल की जन्मतिथि–07.01.2008 अंकित है।

उक्त के संबंध में वादी द्वारा आयोग को बताया गया कि यह सभी जन्म प्रमाण–पत्र दिनांक–04.02.2012 को Back Dating कर एक साथ निर्गत कराये गये है, ताकि निर्वाचन पूर्व अयोग्यता से बचा जा सकें।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा स्वयं उनके पक्ष में साक्ष्य दिया गया है। वादी के वाद–पत्र में संलग्न उनके मुवक्किल के सभी संतानों के जन्म प्रमाण–पत्र से स्वतः प्रमाणित है कि सभी संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के पूर्व की है। उनके द्वारा बल देते हुए, आयोग को बताया गया कि अंतिम संतान अनमोल की जन्मतिथि–07.01.2008 है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल की सबसे बड़ी संतान नैन्सी कुमारी की जन्मतिथि C.B.S.E. Board Examination-2021 के आधार पर दिनांक–06.02.2005 है, जो कि उनके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि के ही समान है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा नैन्सी कुमारी के Board Examination-2021 के अंक–पत्र की Digi locker से Download किये गये प्रति तथा आधार कार्ड का अवलोकन कराया गया, जिसमें उनकी जन्मतिथि–06.02.2005 ही अंकित है। ठीक इसी प्रकार धनवंती कुमारी द्वितीय संतान के B.S.E.B. Patna, Secondary School Examination-2023 के अंक–पत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड का अवलोकन कराया गया, जिसमें जन्मतिथि–17.08.2006 अंकित पायी गयी। यह जन्मतिथि भी जन्म प्रमाण–पत्र के समान पायी गयी।

अंत में उनके द्वारा तीसरे संतान अनमोल कुमारी के वर्ग–8 के उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनकी जन्मतिथि–07.01.2008 अंकित पायी गयी। उक्त जन्मतिथि जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि के हू–ब–हू समान है।

उक्त साक्ष्यों के प्रस्तुत करने के उपरांत उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा अनेकों न्याय–निर्णयों में यह स्थापित किया है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म प्रमाण–पत्र को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होती है, तो Matriculation/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्रों में अंकित जन्मतिथि को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है। इसके उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किये गये, जन्म प्रमाण–पत्र को वरीयता प्रदान की जाती है। दोनों ही अकाट्य साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादी का दावा सही नहीं है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि जनगणना, सर्वे आदि में अंकित तथ्यों को Admissible Piece of evidence के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में

उनके द्वारा Moslem Mondal Vs. Union of India & Ors. वाद में पारित न्याय–निर्णय की प्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि सर्वे आदि में संग्रहित डाटा कई त्रुटियों एवं खामियों से युक्त होता है। अतः इसे जन्मतिथि का आधार नहीं माना जा सकता है।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा चुनाव लड़ने से काफी पूर्व वर्ष–2012 में अपने संतानों का जन्म प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है। केवल इस आधार पर कि, यह जन्म प्रमाण–पत्र एक ही तिथि को निर्गत हुए है, परिकल्पना कर लेना कि इसे चुनाव लड़ने हेतु निर्गत कराया गया है, न्यायोचित नहीं है। अतः वाद को अविलम्ब खारिज करना चाहिए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–1936/निर्वा0, दिनांक–01.07.2024, तथा पत्रांक–287/निर्वा0, दिनांक–07.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

(क) वाद के साथ संलग्न जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या–285, 286 एवं 287 नगर निगम बिहारशरीफ से निर्गत है, जिसका सत्यापन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है तथा इसे सही पाया गया है।

(ख) प्रतिवादी द्वारा अपने दो संतानों (नैन्सी कुमारी एवं धनवंती कुमारी) के Matriculation से संबंधित अंक–पत्र उपलब्ध कराये गये है, जिसमें अंकित जन्मतिथि एवं जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि एक समान है।

(ग) अनमोल कुमारी की जन्मतिथि SP Arya D.A.V. Public School लहेरी, बिहारशरीफ, नालन्दा में अंकित जन्मतिथि–07.01.2008 पायी गयी, जो जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि के सामान है।

(घ) वादी द्वारा केवल SECC के डाटा के आधार पर दावा किया है, परन्तु SECC के डाटा पर किसी प्राधिकार का हस्ताक्षर मोहर आदि नहीं रहने के कारण जिला से इसका सत्यापन नहीं हो सका। साथ ही साथ वादी भी इसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहे।

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री धनंजय कुमार उर्फ पप्पू यादव (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–35, नगर निगम बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित

संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–35, नगर निगम बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा के पद पर निर्वाचित हो गए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि संतानों की संख्या के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी एकमत हैं। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या–03 (तीन पुत्री) घोषित की है। विवाद प्रतिवादी के संतानों के जन्मतिथि अर्थात् Cut of Date- 04.04. 2008 के उपरांत जन्म लेने अथवा उसके पूर्व जन्म लेने को लेकर है।

वादी द्वारा किया गया दावा SECC के अंतिम आँकड़े की छायाप्रति पर आधारित है, परन्तु वह इसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने में विफल रहे। वादी द्वारा प्रतिवादी के संतानों का जन्म प्रमाण–पत्र स्वयं अपने वाद–पत्र में संलग्न किया गया था, जो सत्यापन में सही पाये गये है। उक्त जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रतिवादी के सभी संतान 04.04. 2008 के पूर्व ही जन्म ले चुके थे।

प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में अपने दो संतानों के Matriculation से संबंधित प्रमाण–पत्रों में अंकित जन्मतिथि प्रस्तुत की है, जबकी तीसरे संतान की जन्मतिथि भी C.B.S.E. से मान्यता प्राप्त विद्यालय में ठीक वहीं पायी गयी है, जो उनके जन्म प्रमाण–पत्रों में अंकित है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में Unimpeachable साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख Unimpeachable साक्ष्य की श्रेणी में नहीं है, साथ ही साथ इसका सत्यापन न तो जिला के अभिलेखों से हो सका है और न ही इसकी सत्यापित प्रति उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी का दावा/अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वादी के दावें/अनुरोध को खारिज किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–52/2023 1361 पटना, दिनांक–30/3/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,**नालन्दा**/उप निर्वाचन पदाधिकारी **नालन्दा** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी **नालन्दा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

30/3/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–52/2023 1361 पटना, दिनांक–30/3/2026

प्रतिलिपि– श्री शिव शंकर प्रसाद, पिता–श्री केदार प्रसाद सिंह, मुहल्ला–मथुरिया, थाना–लहेरी, बिहारशरीफ, **जिला–नालन्दा**, पिनकोड–803101 एवं श्री धनंजय कुमार उर्फ पप्पु यादव, पिता–स्व0

रामदेव प्रसाद, पता–मुहल्लाा–तेरही बारूण, थाना–लहेरी, पोस्ट–जी0पी0ओ0–बिहारशरीफ, **जिला–नालन्दा**, (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–35, नगर निगम बिहार शरीफ, नालन्दा) पिनकोड–803101 को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–52 / 2023 1361 पटना, दिनांक– 30/3/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी